



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सर्वाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact 0141-2973804, 2988946

क्रमांक:पैरामेडि.कौ/परीक्षा/2021/450

दिनांक: 12/5/2021

--:सार्वजनिक सूचना:--

संदर्भ:- कार्यालय का पूर्व पत्रांक क्रमांक:पैरामेडि.कौ/परीक्षा/2021/444 दिनांक 10.05.2021

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर, के पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा सत्र 2017-18 (द्वितीय वर्ष) एवं रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2015-16 तथा 2016-17 दिनांक 07.05.2021 को जारी परीक्षा परिणामों यथा- Diploma In Medical Laboratory Technology & Diploma in Radiation Technology से सम्बन्धित पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा सत्र 2017-18 (द्वितीय वर्ष) एवं रिमाण्डेड/पूरक परीक्षा सत्र 2015-16 तथा 2016-17 दिनांक 07.05.2021 के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना त्रुटि एवं संशोधित हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 11.05.2021 से दिनांक 26.05.2021 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र www.rpcraj.net पर उपलब्ध हैं।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन-पत्र ऑन-लाईन की दिशा-निर्देश निम्नानुसार है-

1. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के नियम/विनियम के अनुसार होंगे।
2. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस हेतु वर्णित नियम व टिप्पणियों को वेबसाइट पर ध्यानपूर्वक पढ़ें।
3. अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम की सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, अभ्यर्थी अपना परिणाम अपरिवर्तित मानते हुए तदनुसार आगे की कार्यवाही करें।
4. अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु थ्योरी के कुल प्रविष्ट पेपर्स के कुल 50 प्रतिशत पेपर्स में ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता/सकती है। यदि किसी विषय के दो पेपर हैं तो उनकी अलग-अलग पेपर के रूप में गिनती की जायेगी। यदि किसी पेपर में दो सेक्शन हैं, उदाहरणार्थ- सेक्शन-ए और सेक्शन-बी तो अभ्यर्थी चाहे सेक्शन-ए अथवा सेक्शन-बी अथवा दोनों सेक्शन में पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, परन्तु इसको एक ही पेपर माना जायेगा। यदि छात्र थ्योरी के कुल पाँच पेपर्स में प्रविष्ट हुआ है तो नियमानुसार 2.5 पेपर्स में आवेदन करने योग्य है। अतः पेपर्स को राउण्ड ऑफ करके हुए 3 पेपर्स में आवेदन कर सकता है। फीस प्रति-उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
5. अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु थ्योरी पेपर्स में ही आवेदन कर सकता है, फीस प्रति उत्तरपुस्तिका के हिसाब से चार्ज की जायेगी।
6. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना छात्रों को दी गई एक विशेष सुविधा है, पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम के फलस्वरूप प्रवेश एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की परीक्षा में बैठने की अनुमति के संबंध में किसी भी प्रकार की विशेष रियायत संबंधी नियम/विनियम के विपरीत देने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल बाध्य नहीं होगा।
7. छात्र ऑनलाईन भरे गये पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म की हार्डकॉपी (प्रिन्टेड प्रति) एवं ऑनलाईन भुगतान के बाद प्राप्त शुल्क की रसीद को अपने सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करवाएँ, जिससे कि सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य समस्त प्राप्त आवेदन-पत्रों को अपने महाविद्यालय में सुरक्षित रखते हुये आवेदन-पत्रों की सूची के प्रमाणित प्रिन्ट के साथ अंकतालिका एवं यदि केवल आवेदन की स्थिति में छात्र की मूल/ऑनलाईन अंकतालिका एवं यदि केवल पुनर्गणना हेतु आवेदन किया है, तो अंकतालिका की छायाप्रति ही संलग्न कर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को प्रेषित करेंगे। दस्तावेज के अभाव में भरा गया ऑनलाईन फॉर्म स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
8. यदि अभ्यर्थी नियम से अधिक विषयों/उत्तरपुस्तिका में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना भर देता है अथवा एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना फॉर्म भरकर ऑनलाईन शुल्क जमा करा देता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के आवेदन की राशि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल नियम/विनियम-2015 के शिड्यूल 16 (11, 12) निम्नानुसार है-

क्रम सं.	विवरण	शुल्क
1	पुनर्मूल्यांकन शुल्क प्रति पेपर	500/-
2	पुनर्गणना शुल्क प्रति पेपर	200/-

समस्त प्रधानाचार्य, पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र/छात्राओं को आप अपने स्तर से सूचित करें कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन-पत्र राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा ऑनलाईन स्वीकार किये जा रहे हैं।

➤ यदि ऑनलाईन पोर्टल में किसी प्रकार की बाधा/रूकावट आती है तो कौंसिल की Email-ID पर मेल rajasthanparamedicalcouncilgov@gmail.com सुनिश्चित करें।

क्रमांक:पैरामेडि.कौ/परीक्षा/2021/450

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य, सम्बद्ध पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान को भेजकर पालनार्थ।
4. काउंसिल शाखा, /नामांकन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. रक्षित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक
दिनांक: 12/5/2021

परीक्षा नियंत्रक